सार्वजनिक सूचना
वन विभाग हिमाचल प्रदेश
वन रक्षकों की अनुबन्ध के आधार पर भर्ती
नाहन वन वृत, नाहन।

विज्ञापन संख्या– 01/2021 दिनांक 05-07-2021

हिमाचल प्रदेश वन विभाग के नाहन वन वृत में वन रक्षकों की **अनुबन्ध** के आधार पर (on contract basis) मे कुल 13 पदों के लिए सीधी भर्ती हेतू आनलाईल आवदेन आमन्त्रित किये जाते हैं। यह भर्ती सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफएफई–ए–बी–2–23/2010 दिनांक 20.09.2014 के वन रक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम व अधिसूचना संख्या एफएफई– ए–बी –2– 23 /2010– पार्ट–I दिनांक 08.07.2016, अधिसूचना संख्या एफएफई– ए–बी –2– 8 /2017 दिनांक 26.08.2017 द्वारा संशोधित किए गए नियमों के आधार पर तथा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुसार की जा रही हैं। यह भर्ती खुली है और वन वृत स्तर पर की जा रही है। इसके लिये अभ्यार्थी का नाम हिमाचल प्रदेश में किसी भी रोज़गार कार्यालय/उप–रोज़गार कार्यालय में आवेदन की तिथि को पंजीकृत होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार, श्रम एवं रोज़गार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्याः श्रम(एफ)16–5/93, तारीख 9 मार्च, 2000 में अंतर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसरण में रोज़गार कार्यालयों/उप रोज़गार कार्यालयों को रिक्तियां अधिसूचित करने के अतिरिक्त खुले आवेदन भी आमंत्रित किये जा रहे हैं।

इस प्रकार नियुक्त वन रक्षक को रूपये 7910/– (5910/– रूपये मूल वेतन + 2000/– रूपये ग्रेड पे)+150% बढा हुआ ग्रेड पे मासिक का निर्धारित (fixed) भुगतान किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को अनुबन्ध के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसका वर्षानुवर्ष नवीकरण / अवधि विस्तार सम्बन्धित अरण्यपाल द्वारा वर्ष के दौरान संतोषजनक सेवा और आचरण प्रमाणित करने के उपरान्त किया जाएगा। यदि अनुबन्ध में एक वर्ष की या उससे अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए अनुबन्ध राशि में सेवा नियमानुसार तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देने का प्रावधान है।

वन रक्षक का पद वृत स्तरीय संवर्ग का है। नवनियुक्त वन रक्षकों की पहली तैनाती कठिन क्षेत्रों में पद उपलब्धता के आधार पर प्रावधित है। प्रार्थी का वन वृत पहले 10 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान बदला नहीं जाएगा व उसके बाद भी वृत वरिष्ठता गंवाए बिना नहीं बदला जाएगा। यदि आवेदक वन विभाग में भर्ती होने का इच्छुक हों और निर्धारित शर्तें एवं योग्यता पूरी करता हो, तो वह इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 45 दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश वन विभाग की website URL: www.hpforest.nic.in के माध्यम से दिनांक 06.07.2021 से आनलाईन आवेदन सकता है। आवेदन की अन्तिम तिथि 19 अगस्त, 2021 है। महिला उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। जो पद भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए आरक्षित हैं वो भूतपूर्व सैनिक बोर्ड के माध्यम से ही लिए जाएंगे। नाहन वन वृत में श्रेणीवार उपलब्ध पदों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

श्रेणी	अनारक्षित	भूतपूर्व सैनिक	आई.आर.डी.पी.	हि.प्र गृह रक्षक	स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित	प्रतिष्ठित खिलाड़ी	कुल योग
सामान्य	0	1	0	0	0	1	**2**
अनुसूचित जाति	1	3	3	0	1	0	**8**
अन्य पिछड़ी जाति	0	0	0	0	0	0	**0**
अनुसूचित जन जाति	0	2	0	1	0	0	**3**
आर्थिक कमजोर वर्ग **(EWS)**	0	0	0	0	0	0	**0**
योग	**1**	**6**	**3**	**1**	**1**	**1**	**13**

I-पात्रता की आवश्यक शर्तें एवं योग्यताएंः–

क. अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।

ख. आवेदक की आयु 1 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात आवेदक का जन्म 01.01.1991 से पूर्व व 31.12.2002 के बाद का नही होना चाहिए है।

नोटः– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट होगी। इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रम /स्वायत्त निकायों से सम्बन्धित आवेदकों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितो को भी नियमानुसार छूट का प्रावधान है।

ग. आवेदन करते समय अभ्यर्थी का नाम हिमाचल प्रदेश में किसी भी रोज़गार कार्यालय/उप–रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत/नवनीकृत (Renewal) अनिवार्य है।

घ. आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या इस के समतुल्य हो।

ड. अन्य पिछडी जाति एवं IRDP,EWC संबंधी प्रमाणपत्र आवेदन की तिथि **को** वैध होना अनिवार्य है।

च. न्यूनतम शारीरिक मापदण्डः–

				पुरूष		महिला	
1)	लम्बाई			165	सैं0मी0	150	सैं0मी0
2)	छाती	(क)	बिना फुलाए	79	सैं0मी0	74	सैं0मी0
		(ख)	फुलाकर	84	सैं0मी0	79	सैं0मी0

नोटः– अनुसूचित जन जाति के आवेदकों को लम्बाई में 5 सैं0मी0 और छाती के माप में 4 सैं0मी0 की छूट होगी।

II- वांछनीय अहर्ताएंः–

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

III- भर्ती प्रकियाः–

भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन परीक्षण होंगे जिनके अधिकतम अंक निम्न तालिका अनुसार हैंः–

क्रमांक	परीक्षंण	निर्धारित अंक
1.	शारीरिक दक्षता	0
2.	लिखित परीक्षा	85
3.	मूल्यांकन मापदण्ड	15
	योगः–	100

1. **शारीरिक दक्षता परीक्षण (Physical Efficiency Test):**

वे उम्मीदवार जो उपरोक्त शारीरिक मापदण्ड पूर्ण करते हों, उनका निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण, निम्न तालिका अनुसार किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण की वीडियोग्राफी अनिवार्यतः की जाएगी।

क्रम सं0	मद	न्यूनतम मापदण्ड पुरूष अभ्यर्थियों के लिए	न्यूनतम मापदण्ड महिला अभ्यार्थियों के लिए	अधिकतम अंक
1.	100 मीटर की दौड़	14 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा।)	17 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)।	केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
2.	800 मीटर की दौड़	2 मिनट 45 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा।)	4 मिनट 15 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)।	केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
3.	ऊंची कूद	1.25 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)	1 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)	केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
4.	लम्बी कूद (long Jump)	4 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)।	3 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)।	केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

2. वे उम्मीदवार जो शारीरिक दक्षता के सभी परीक्षणों में उत्तीर्ण होंगे, केवल उन्हें ही लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा लिखित परीक्षा की तिथि एवं स्थान के बारे में उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा राज्य के समस्त वन वृतों में एक ही दिन संचालित की जाएगी।

3. लिखित परीक्षा में 85 objective type प्रश्न होंगे जिनके उत्तर हेतू 75 मिनट का समय दिया जाएगा। यह दसवीं कक्षा के स्तर या समकक्ष (equivalent standard) का होगा और इसमें हिन्दी व अंग्रेजी भाषा, सामान्य विज्ञान व गणित दसवीं के समक्ष, तथा जंगलों के प्रति, वातावरण एवं वन्यप्राणी की सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, reasoning and aptitude इत्यादि प्रश्न शामिल होंगे। उत्तर पुस्तिका पर इस्तेमाल करने हेतू प्रार्थी को नीली/काली स्याही का बॉल पैन व लिखने के लिए गत्ता लाना अनिवार्य होगा।

4. लिखित परीक्षा के परिणामों पर आधारित योग्यता सूची (Merit list) के अनुसार उम्मीदवारों को मूल्यांकन [evaluation] हेतू बुलाया जाएगा जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफएफई– ए–बी –2– 8 /2017 दिनांक 26.08.2017 द्वारा संशोधित किए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के आधार पर तथा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(IV) आवेदकों के लिए निर्देशः–

1. आवेदन वन विभाग की website URL: www.hpforest.nic.in के माध्यम से लिए जा रहे हैं जो सीधे URL: htpp://forp.hp.gov.in द्वारा भरे जा सकते हैं। केवल online आवेदन मान्य होंगे।
2. उम्मीदवारों को स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से अथवा वन विभाग की website URL: www.hpforest.nic.in व URL: htpp://forp.hp.gov.in के द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे सूचित किया जाएगा। यदि उम्मीदवारों को किसी कारणवश सूचना नहीं मिल पाती है तो वह शारीरिक दक्षता परीक्षा के शुरू होने से पहले वन वृत कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को सुबह 10 बज़े से 5 बज़े सांय तक सम्पर्क कर सकते हैं।
3. अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. यदि कोई आवेदन पत्र अधूरा प्राप्त होता है तो उसे रद्द कर दिया जायेगा।
5. यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं व्यक्तिगत परीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित तिथि को पूर्ण नहीं होती है तो वह अगले दिन भी जारी रहेगी।
6. आवेदक शारीरिंक दक्षता परीक्षा व सत्यापन एवं मूल्यांकन के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ मूलरूप में अपने साथ अवश्य लायें:–

   क. मैट्रिक एवं 10+2 कक्षा पास का प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

   ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/EWS व स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों/पौत्र/पौत्री/आई.आर.डी.पी./अन्तोदय नवीनतम प्रमाण पत्र।

   ग. एन. सी. सी./एन. एस. एस./खेल,अन्य पाठ्य सहायक क्रियाओं में भाग लेने इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

   घ.रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का प्रमाण पत्र।

   ड. 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
7. यदि प्रार्थी किसी भी परीक्षण के लिए निर्धारित तिथियों को निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी।
8. विज्ञापित किए गए पदों की सख्यां अनुमानित (Tentative) है तथा यह बढाई या घटाई जा सकती है।
9. सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए/बिना शर्त इस चयन प्रक्रिया को समाप्त करने तथा पदों की संख्या में बदलाव का अधिकार रखता है।
10. अनुबन्ध पर नियुक्त अभ्यार्थी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार नहीं होगा।
11. यदि अभ्यार्थियों का आवेदन फार्म व उसमें दी गई सम्बन्धित जानकारी सही नही पाई जाती तो उसके आवेदन को किसी भी स्तर पर रद्द कर दिया जाएगा।

<u>आवेदन करने से पहले उपरोक्त शर्तों एवं पूर्ण विज्ञापन का अवलोकन करें।</u>

इस भर्ती की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश के सभी वन/वन्य प्राणी वृतों में हो रही है। अतः आवेदकों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने नज़दीकी वन/वन्य प्राणी वृत में ही आवेदन करें।

अन्य जानकारी के लिए अरण्यपाल नाहन वन वृत के कार्यालय में दूरभाष नम्बर 01702—222489, 01702—224824 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

3/7/21

अरण्यपाल,
नाहन वन वृत, नाहन।